

कार्यालय - जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर नगर।

पत्रांक -/प्रोभोसिओ-4/ 5705-14 /2018-19

दिनांक 19.5.18

प्रबन्धक,

एम.डी.एम.पब्लिक स्कूल
छात्रमरा कानपुर नगर
कानपुर।

विषय- निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण -पत्र।

महोदय,

शासनादेश सं0-419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक 08-05-2013 में निर्दिष्ट कार्यक्रम को निर्देशों के अंतर्गत में अर्हता मापन से उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु आपको आवेदन पत्र और इस संघ में जांच अधिकारी के निरीक्षणोपस्थान उपलब्ध कराई गयी निरीक्षण आख्या के आलोक में मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 10-05-2018 को लिए गए निर्णय के आधार पर मैं एम.डी.एम.ओ.पब्लिक स्कूल छात्रमरा कानपुर नगर को 2018-19 से 1 से कक्षा 8 तक के लिए अर्हता मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है-

- 1-मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता /संयोजन करने के लिए कोई बाधक विद्यमान नहीं है।
 - 2-विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपाबंध-2)के उपबन्धों का पालन करेगा।
 - 3-विद्यालय प्रारम्भिक कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों का प्रवेश प्रदान करेगा। और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करावेगा।
 - 4-पैर-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उप धारा (2)के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
 - 5-सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा, और किसी बालक या उसके माता पिता या सरलक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
 - 6-विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा, और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सन्निहित करेगा।
 - i. एनोस विद्ये गरी किसी भी बालक को विद्यालय में समझी उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्काशित नहीं किया जायेगा।
 - ii.किसी भी बालक को शारीरिक दब या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
 - iii.उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी।
 - IV.उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - V. अधिनियम के उपलब्ध के अनुसार निःशुल्क प्रसा/विरोध आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
 - VI.अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा-23 (1)के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नहीं है, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम अर्हताये अर्जित करेगे।
 - VII.अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
 - VIII.अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगे।
- 7- विद्यालय समूचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा निर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्धियों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समस्त रिपोर्ट की गयी प्रसविधायी निम्नानुसार है-

क्र.सं0	विद्यालय में उपलब्ध प्रसविधायी	विवरण
1	विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	4126.45 वर्ग मी0
2	कूल निर्मित क्षेत्र	3143.75 वर्ग मी0
3	कौडा स्थल का क्षेत्रफल	3000 वर्ग मी0
4	कक्षाओं की संख्या	14
5	प्रशापक-सह कार्यालय-सह भण्डारगार के लिए कक्षा	4
6	बालक/बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	4/4
7	पेय पत्र सुविधा	सबमॉडल रूप उपलब्ध
8	बना रहित पहलू	बना रहित पहलू
9	अध्यापक पठन सामग्री/कौडा/सह कक्षा/परिपत्र/पत्र	उपलब्ध है।

Em

M. Pathi

कुसुम लता
MANAGER
M.D.M. PUBLIC SCHOOL
CHHATMARA, KANPUR

M. Pathi
Principal
M.D.M. Public School
Chhatmara, Kanpur (U.P.)

- 9-विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई भी मान्यता प्राप्त कदम नहीं चलाई जायेगी।
- 10-विद्यालय भवनो या संरचनाओं या फीका सतह का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रायोजनों के लिए किया जाता है।
- 11-विद्यालय को सौसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सौसाइटी के द्वारा या तत्समय प्रयुक्त किसी विधि की अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12-स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 13-विद्यालय के लेखापत्रों को किसी मानक एकात्मक द्वारा समीक्षा की जानी चाहिये। और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए, जहां उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
- 14-आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कौड संख्यांक जूहाड स्कूल/अंग्रेजी माध्यम/2018-19 44 है। कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15-विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेश/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, और समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी के लिए जगहों का मालम करता है। जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों को रखा अनुपालन को सुनिश्चित करने का विद्यालय के कार्य करण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाये।
- 16-सौसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाये।
- 17-संलग्न उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
- 18-विद्यालय में शिक्षण कार्य टी0ई0टी0 उत्तीर्ण शिक्षकों से ही कराया जाये, तथा यदि कोई तथ्य गोपन प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत पाया गया तो विभागीय नियमों की परिधि में कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर नगर।

पू0सं0/प्र0ब्रे0लि0-4/ 5705-14

/2018-19 तद्दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक (बे0) उत्तर प्रदेश निशातगंज लखनऊ।
- 2- सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 3- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0)कानपुर मण्डल कानपुर।
- 4- जिला समाज कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
- 5- अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
- 6- पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
- 7- संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर।
- 8- कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर नगर।

शु शुग लता

MANAGER
M.D.M. PUBLIC SCHOOL
CHHATMARA, KANPUR

Principal
M. D. M. Public School
Chhatmara, Kanpur (U.P.)